न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–05, अलीगढ़।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2632/2021
सी.एन.आर. नं.–यू.पी.ए.एल010054912021
सोमवीर पुत्र मोहर पाल सिंह, निवासी गांव समैना, थाना दादों, जिला–अलीगढ़

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

एवं

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3225/2021
सी.एन.आर.नं.–यू.पी.ए.एल.010062132021
संजीव पुत्र चोब सिंह, निवासी गांव समैना थाना दादों, जिला अलीगढ़

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–129/2021
धारा–147,148,149,307,323,332,352,353,504,506 भा0द0सं0
थाना–दादों, जिला–अलीगढ़।

दिनांक–08.07.2021:–

आदेश

यह दोनों जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण सोमवीर पुत्र मोहर पाल सिंह, निवासी गांव समैना, थाना दादों, जिला–अलीगढ़ एवं अभियुक्त संजीव पुत्र चोब सिंह, निवासी गांव समैना थाना दादों, जिला अलीगढ़ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–129/2021 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 323, 332, 352, 353, 504, 506 भा0द0सं0, थाना–दादों, जिला अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

यह दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे है तथा मूल आदेश जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2632/2021 पर पारित किया गया है।

अभियुक्तगण संजीव व सोमवीर की ओर से पूर्व में जमानत प्रार्थना पत्र 2898/2021 दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत किया गया था तथा उससे पूर्व ही अभियुक्त सोमवीर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2632/2021 दिनांक 01.06.2021 को प्रस्तुत की जा चुकी थी, जिस कारण जमानत प्रार्थना पत्र 2898/2021 दिनांक 02.07.2021 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथांनक इस प्रकार है कि आरक्षी 2372 अरविन्द कुमार दिनांक 16.05.2021 को रात्रि समय करीब 12:35 बजे मय होमगार्ड 1248 रामगोपाल के चौकी क्षेत्र जिरौली में लेपर्ड ड्यूटी पर था, तब चौकी इंचार्ज जिरौली/रात्रिधिकारी उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना दादों की उसके मोबाईल पर काल आयी, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना दादों पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/21 धारा 354ख, 323, 504 भा0द0सं0 बनाम अवनीश पुत्र गजराज आदि जिसके वादी मोहरपाल पुत्र दलवीर सिंह से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश अपने घर पर मौजूद है, अभियुक्त के मकान पर जाकर पूंछतांछ व बयान हेतु सूचित कर दो। उक्त सूचना पर दोनों लोग उक्त अभियुक्त के मकान पर पहुंचे तो वहां पर वादी मुकदमा अपराध संख्या–122/21 पक्ष के 5–6 लोग आ गये, जिन्होंने दोनों को जबरन अभ्ज्ञियुक्त अवनीश के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, अभियुक्त अपने मकान पर मौजूद नहीं था, जिस बात को लेकर संजीव, दशरथ, गेंदालाल, मान सिंह, नन्नू, धर्मेन्द्र व एक अन्य व्यक्ति अज्ञात ने एकराय होकर दोनों लोगों को जान से मारने की नीयत से गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों व धारदार हथियार से उनपर हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी और तथा दोनों की वर्दी भी फाड़ दी व कार्य सरकार में बाधा डाली, फिर संजीव ने तमंचा निकालकर वादी आरक्षी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर झोक दिया, जो उसके कान के करीब से सनसनाते हुए निकल गई। तभी मौके पर सरकीर गाड़ी आता देख उक्त लोग वाहं से वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत के आधार में यह तर्क किया गया है कि अभ्झियुक्त सोमवीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त को आपसी पार्टीबन्दी के विनाह पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूंठा फंसा दिया है। संजीव के चचेरे भाई ने अपराध संख्या 122/21 अं0 धारा 354बी, 323, 504 भा0द0सं0 में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिससे दादों पुलिस संजीव के चचेरे भाई मोहरपाल व उसके घर वालों को बार–बार बोलने पर भी दादों पुलिस अवनीश को प्रलोभनवश नहीं पकड़ रही थी। अपराध सं0 122/21 का अभियुक्त अवनीश अपने घर पर मौजूद था। मोहरपाल व उसके घरवालों ने थाने पर फोन किया कि अवनीश घर पर मौजूद है, जिस पर दो लैपर्ड सिपाही जो शराब के नशे में थे, अपनी मोटरसाईकिल पर हूटर बजाते हुए आये, जिसकी आवाज सुनकर व पुलिस को देखकर अवनीश अपने घर से भाग गया। पुलिस वाले जो शराब के नशे में थे, घर में घ ुसकर गंदी गंदी गालियां देने लगे और प्रार्थी के घर वालो व महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगे। प्रार्थी अपनी घर की महिलाओं के साथ मारपीट व अश्लील गालियों की रिपोर्ट थना दादों करने गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही उनकी डॉक्टरी करायी और उपर शिकायत करने पर संगीन मुकदमा बनाकर उसे व उसके परिवार को जेल में सड़ाने की धमकी दी। उन्होंने पुलिस के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही सरकारी कार्य में कोई बाधा डाली और न ही कोई तमंचा चलाया गया। पुलिस ने अपने बचने के लिए फर्जी मुकदमा लिखवाया है। घटना का कोई जनता का स्वतन्त्र गवाह नहीं हैं। अभियुक्तगण पर पूर्व में कोई मुकदमा नहीं चला है और न ही वह पूर्व सजायाफ़्ता है और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास है। वे जेल में निरूद्ध हैं।

विद्धान जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि जैसा कि वादी मुकमदा ने एफ.आई.आर. करायी है कि उसके ऊपर फायरिंग की गयी थी। मौके से कोई छर्रा आदि बरामद नहीं हुआ है। मेडिकल में भी ट्रोमेटिक स्वेलिंग और कॉलीमियन है और वह चोट फायर आर्मस से आयी हो, ऐसा नहीं अंकित किया गया है। बजाय उसके बताया गया है कि बलन्ट एण्ड रफ ऑवजेक्ट से आना बताया गया है और चोट का सिम्पल नेचर है। पुलिस ने मौके से कोई छर्रा कारतूस आदि बरामद नहीं किया है, न ही घटना में प्रयुक्त किया गया फायर आर्मस ही बरामद किया गया है। एफ.आई.आर. के अनुसार अभियुक्तगण ने बर्दी भी फाड़ डाली थी। फटी हुई बर्दी को भी सील नहीं किया है, जो कि केस प्रॉपर्टी हो सकती थी।

इस प्रकार जो पत्रावली के तथ्य एवं परिस्थिति हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये, अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त कारण व आधार हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सोमवीर व संजीव के जमानत आवेदन स्वीकार किये जाते हैं। अभियुक्तगण प्रत्येक को उक्त मामले में मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी राशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जावे–

1– इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करें कि जामीनदार जमानत स्वीकृत होने के उपरान्त अपनी खतौनी सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर उसपर जमानत राशि बन्धक होना अंकित करना भी सुनिश्चित करेंगे तथा जामीनदारों में से एक पारिवारिक सदस्य हो।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3225/2021 पर रखी जाये।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–05, अलीगढ़
08–07–2021